भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं० 889

दिनांक 21.11.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

खुले में शौच मुक्त

889. श्री असादुद्दीन ओवैसीः
श्री सय्यद ईमत्याज ज़लीलः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण भारत का खुले शौच करने से मुक्त होने का दावा किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि आज भी 20 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या खुले में शौच करती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य हासिल नहीं हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को वास्तव में खुले में शौच करने से मुक्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति

(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) से (ग) सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम (जी)] का प्रारंभ दिनांक 02 अक्तूबर, 2014 को किया था जिसका लक्ष्य देश में सभी ग्रामीण परिवारों को शौचालय सुविधाओं की पहुँच उपलब्ध कराकर 02 अक्टूबर, 2019 तक खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) भारत की स्थिति प्राप्त करना है। एसबीएम (जी) की ऑनलाइन एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली पर राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज जो 2.10.2014 को 38.7% था, बढ़कर 100% हो गया है और देश के सभी 5,99,963 गांवों ने स्वयं को पहले से ही ओडीएफ घोषित कर दिया है। दिसंबर, 2018 में कराए गए राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण (एनएआरएसएस) 2018-19 के अनुसार 93.1% ग्रामीण परिवारों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध है।

(घ) और (ड.) एसबीएम (जी) की ऑनलाइन एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली पर राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश के सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों ने 100% स्वच्छता कवरेज प्राप्त कर लिया है। सरकार ने आगे सभी राज्यों को सलाह दी है कि यह सुनिश्चित करें कि एसबीएम (जी) के अंतर्गत कोई भी पीछे छूट न जाए और छूट गए ग्रामीण परिवारों यदि कोई हों, तो उनकी पहचान करें और इस कार्यक्रम के अंतर्गत शौचालय निर्माण में उनकी सहायता करें।